



T.V. TODAY NETWORK LIMITED

India Today Group Mediaplex
FC 8, Sector 16 A, Film City, Noida – 201301
Tel: +91 120 4908600 Fax: +91 120 4325028
Website: www.aajtak.in
CIN No : L92200DL1999PLC103001



Date: July 30, 2020

Corporate Relations Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 Scrip Code – 532515	Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 Scrip Code - TVTODAY
--	---

Dear Sir / Madam,

Sub: Newspaper clippings of Newspaper Advertisement for “Annual General Meeting” of the members of the Company, “Record Date for dividend” and other related information.

Please be informed that the Company had duly published the Newspaper Advertisement for “Annual General Meeting” of the members of the Company, “Record Date for dividend” and other related information in the following Newspapers on July 30, 2020:

1. Financial Express (English)-All editions
2. Jansatta (Hindi)-Delhi edition

Please find enclosed copies of above stated Newspaper Advertisement for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For T.V. Today Network Limited

(Ashish Sabharwal)

Group Head – Secretarial & Company Secretary & Compliance Officer

Email ID: ashish.sabharwal@intoday.com



Encl : As above





T.V. TODAY NETWORK LIMITED
CIN : L92200DL1899PLC103001 Website: www.aajtakintoday.in
Regd. Office: F-26, First Floor, Connaught Circus, New Delhi - 110001
Telephone : 0120-4807100 Fax: 0120-4807172
Email: investors@aajtak.com

NOTICE OF THE 21st ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting (AGM) of the members of T.V. Today Network Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 10, 2020 at 03:30 p.m through video conference (VC)/OAVM, to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular Nos.14/2020 (dated 8th April 2020), 17/2020 (13th April 2020), 20/2020 (dated 5th May 2020) and 22/2020 (dated 15th June, 2020), respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.

Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2020 of the Company shall be sent to all the members, as on July 24, 2020, whose email ids are registered with the Company/RTA/Depository participant(s). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the 21st AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular. The Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company <https://aajtakintoday.in/investor/> and on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, where the Company's shares are listed and also at the website of our RTA at <https://www.mcsregistrars.com/>.

The facility of casting the votes by the members (e-voting) will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL) and the detailed procedure for the same shall be provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on September 07, 2020 (09:00 A.M.) and end on September 09, 2020 (05:00 P.M.). During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 03, 2020, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members participating through VC / OAVM shall be counted for reckoning the quorum under section 103 of the Act.

Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the RTA/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest for receiving the Annual Report 2019-20 along with AGM Notice. Members are requested to provide their email addresses and bank account details for registration to MCS Share Transfer Agent Limited, RTA of the Company. The process of registering the same is mentioned below:

1. Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the RTA/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving Licence, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving the Annual Report 2019-20 along with AGM Notice by email to admin@mcsregistrars.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants.
2. Please note that the updation/registration of email addresses on the basis of the above scanned documents will be only for the purpose of sending the notice of 21st AGM and Annual Report for 2019-20 and thereafter shall be disabled from the records of the RTA immediately after the 21st AGM. The Member(s) will therefore be required to send the email ID updation request along with hard copies of the aforesaid documents to RTA for actual registration in the records to receive all the future communications including Annual Reports, Notices, Circulars, etc. from the Company electronically.

Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants. The notice of the AGM shall contain the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM.

The Notice of AGM and Annual Report for financial year 2019-20 will be sent to members in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course.

Further notice is also given that record date will be September 03, 2020, for the purpose of determining the entitlement of the shareholders to the dividend for the financial year 2019-20. Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the shareholders w.e.f. 1st April 2020 and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the Members at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 ("the IT Act"). For the prescribed rates for various categories, conditions for Nil/preferential TDS and details / documents required thereof, Members are requested to refer to the IT Act and Notice of the 21st AGM in this regard. In general, to enable compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and / or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their Depository or in case shares are held in physical form, with the RTA by sending email to admin@mcsregistrars.com.

In the event the Company is unable to pay the dividend to any member by electronic mode, due to non-registration of the Electronic Bank Mandate, the Company shall dispatch the dividend warrant/ Bankers' cheque/ demand draft to such Member, at the earliest once the normalcy is restored.

Date : July 29, 2020
Place : New Delhi



For T.V. Today Network Limited
Sd/-
(Ashish Sabharwal)
Group Head-Secretarial & Company Secretary
Membership No. : F4981

21वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू होने योग्य प्रावधानों एवं उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अधिसूचना) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के साथ पठित कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र ("एमसीए परिपत्र/ओ") संख्या 14/2020 (दिनांकित 8 अप्रैल 2020), 17/2020 (दिनांकित 13 अप्रैल 2020), 20/2020 (दिनांकित 5 मई 2020) एवं 22/2020 (दिनांकित 15 जून 2020), क्रमशः, तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 ("सेबी परिपत्र") दिनांकित 12 मई 2020 के अनुपालन में टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों को 21वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 10 सितंबर, 2020 को 03:30 बजे अपराह्न वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / ओएवीएम के माध्यम से, एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, एजीएम की सूचना में गिहित व्यवसायों के सम्पादन हेतु, आयोजित की जाएगी।

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, कम्पनी के सभी सदस्यों, जिनका ईमेल आईडी कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ 24 जुलाई, 2020 तक पंजीकृत हैं, को भेजी जाएगी। कृपया ध्यान दें कि एमसीए परिपत्र/ओ तथा सेबी परिपत्र के हवाले से सदस्यों को 21वीं एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। यह सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट <https://aajtak.intoday.in/investor/> तथा स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट(ओं) www.bseindia.com एवं www.nseindia.com क्रमशः, एवं हमारे आरटीए की वेबसाइट <https://www.mcsregistrars.com/>

सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा ("ई-वोटिंग") नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाएगी तथा उसकी विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 7 सितंबर, 2020 (09:00 प्रातः) से आरम्भ होगी तथा 9 सितंबर, 2020 (05:00 सायं) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कम्पनी के सदस्य, जो 3 सितंबर, 2020 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड तौर पर शेयर रखते हैं, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा या एजीएम के समय ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम की गणना हेतु संगणित किया जाएगा।

वे सदस्य, जो भौतिक / इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को रखते हैं और उनके ई-मेल पते कम्पनी / उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ एजीएम की सूचना प्राप्त करने हेतु अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे पंजीकरण हेतु अपना ईमेल पता तथा बैंक खाता विवरण कम्पनी के आरटीए, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, को प्रदान करें। इन्हें पंजीकृत करने की प्रक्रिया नीचे उल्लिखित है:

- वे सदस्य, जो भौतिक / इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को धारण कर रहे हैं और उनका ई-मेल पता आरटीए/ उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं है, से अनुरोध है कि ई-मेल द्वारा एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 प्राप्त करने के लिए, सदस्य(ओं) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन की गई प्रति जिसमें उनका नाम, पूरा पता, फॉलियो संख्या, कम्पनी के धारित शेयरों की संख्या, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति के साथ तथा निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की स्कैन प्रति, अर्थात् आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव कार्ड, पासपोर्ट, उपयोगिता डिल या कम्पनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते के प्रमाण के समर्थन में कोई अन्य सरकारी दस्तावेज admin@mcsregistrars.com को भेजकर अपना ई-मेल पता शीघ्र पंजीकृत कराएं। डीमैटर तौर पर शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ई-मेल पता अद्यतन कर सकते हैं।
- कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त स्कैन किए गए दस्तावेजों के आधार पर ई-मेल पते का अद्यतनीकरण / पंजीकरण केवल 21वें एजीएम की सूचना तथा 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट भेजने के उद्देश्य से होगा और 21वें एजीएम के तुरंत बाद आरटीए के रिकॉर्ड से नियॉग हो जाएगा। अतः सदस्य(ओं) को भविष्य में कम्पनी के सभी संचारों, वार्षिक रिपोर्ट, सूचना, परिपत्र, इत्यादि सम्मिलित, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने हेतु रिकॉर्ड में वारताविक पंजीकरण के लिए आरटीए को उपरोक्त दस्तावेजों की प्रति के साथ ई-मेल आईडी अद्यतनीकरण अनुरोध भेजने की आवश्यकता होगी।

डीमैटर तौर पर शेयरों को रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ई-मेल पता अद्यतन कर सकते हैं। एजीएम की सूचना में उस प्रक्रिया के बारे में निर्देश शामिल होंगे, जिस प्रकार शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अथवा एजीएम के समय ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर लागू कानूनों के अनुसार नियत समय पर भेजा जाएगा।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचना दी जाती है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लाभांश हेतु शेयरधारकों को योग्यता का निर्धारण करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि 3 सितंबर, 2020 होगी। वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, लाभांश आय शेयरधारकों के हार्थों में कर योग्य होगी तथा 1 अप्रैल 2020 के प्रभाव से कम्पनी को आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") में निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत से कर ("टीडीएस") की कटौती करना वांछित है। विभिन्न श्रेणियों हेतु निर्धारित दरों के लिए, शून्य / अधिमान टीडीएस की शर्तों एवं सम्बद्ध विवरण / आवश्यक दस्तावेज हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में आईटी अधिनियम तथा 21वें एजीएम की सूचना संदर्भित करें। सामान्य तौर पर, टीडीएस की आवश्यकताओं के अनुपालन को सक्षम करने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे आईटी अधिनियम के अनुसार, अपनी आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी अपने डिपॉजिटरी के साथ, और यदि शेयर भौतिक रूप में है तो आरटीए को admin@mcsregistrars.com पर ई-मेल भेजकर, पूरा करें और / या अद्यतन करें।

इलेक्ट्रॉनिक बैंक अधिदेश के पंजीकरण न होने की स्थिति में यदि कम्पनी किसी भी सदस्य को लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ होती है तो कम्पनी ऐसे सदस्य को लाभांश वारंट 'बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट' सामान्य स्थिति बहाल होने के पश्चात् जल्द से जल्द भेज देगी।

कृते टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड

हस्ताक्षर

आसीष सभरवाल

ग्रुप हेड-सेक्रेटरीयल एवं कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या: F4991

दिनांक: 29 जुलाई 2020

स्थान: नई दिल्ली

